



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 407]
No. 407]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 5, 1995/आश्विन 13, 1917
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 1995/ASVINA 13, 1917

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1995

सं० का० नि० 677(अ).—केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरू पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहार के सम्बन्ध में अग्रिम का अनुदान) पहला संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

[फा० सं० पी० आर०-12016/51/94-पी० ई० I]
सी० एस् खैरवाल, संयुक्त सचिव

अनुसूची

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहार के संबंध में अग्रिम का अनुदान) प्रथम संशोधन, विनियमावली, 1995

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरू पत्तन का न्यासी एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(अ) इस विनियमावली का नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहार के संबंध में अग्रिम का अनुदान) पहला संशोधन विनियमावली, 1995 है।

(ब) ये उस दिनांक से प्रवृत्त होंगे जिस दिनांक से इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की मंजूरी राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी।

2. विनियम 5 निम्नलिखित रूप से पढ़ा जाएगा।

“कर्मचारी को मंजूर किये जाने वाले त्यौहार अग्रिम की धनराशि रु० 1500 से अधिक नहीं होगी।”

पाद टिप्पण :—मुरझ विनियम सा कानि 426 (अ) दिनांक 24.4.1992 के द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 1995

G.S.R 677(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Grant of Advance in connection with Festivals) 1st Amendment Regulations, 1995 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru Port and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of Publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12016/51/94. PE.1]
C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

SCHEDULE

JNPT's Employees (Grant of Advance in connection with Festivals) 1st Amendment regulations, 1995.

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following Regulations, namely :—

1. *Short title and commencement :*

- (i) These Regulations may be called the JNPT's Employees (Grant of Advance in connection with Festivals) 1st Amendment Regulations 1995.
- (ii) They shall come into force on the date of which the Central Government's sanction is published in the Official Gazette.

2. *Regulation 5 shall be constituted as follows :*

"The amount of advance which may be granted to an employee shall not exceed Rs. 1,500".

FOOT NOTE.—Principal Regulations were published vide G.S.R. No. 426 (E) dated 20-04-1992.